08.08.25 आज यह पत्रावली पेश हुई बुलाए पक्षकारान उपस्थित। हमने उभय पक्ष अधिवक्ता को सुना गया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिसके आधार पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के हक में प्रतीत होता है।

अतः अन्तरिम आदेश दिये जाते हैं कि आराजी नं० 208 रकबा 0.43,215 हे० 0.36 सा० A 169 रकबा 2-13 बीघा, 174 रकबा 2-05 बीघा वाले ग्राम नीमका टहलीराम मुसावर की उभयपक्ष ता फैसला मूल वाद मौका की यथावत स्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर होने के बाद तकमील आज्ञा दर्ज रजिस्टर हो।

राधेश्याम मीणा
उपखण्ड अधिकारी
मुसावर (अलवर) राज०